रांब्स् हे. ही. (ही.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (B.M.) 121



असाधारेगा Extraordinary

भाग II—वण्ड 3—उप-वण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii) शाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 236] भी विस्ती, मंगलवार, मई 3, 1988/वैशाख 13, 1910 No. 236] MEW DEEMI, TUESDAY, MAY 3, 1988/VAISAEHA 13, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्षा पा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिमुचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1988

का.धा. 466(य) - केन्द्रीय सरकार, नियांत (क्लालिटी नियंतण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त प्रितियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरोक्षण परिषट् में परामर्ण करने के पश्चान् भारत के राज्यत, असाधारण भाग

1139 GI/88

. (1)

2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 7 मार्च, 1988 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना मं. का. था. 245 (अ), तारीख 07 मार्च, 1988 का निम्मलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 1 में,--

- (1) उपखण्ड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
  - "परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात करने के लिए, निरीक्षण का प्रकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि काली मिर्च संयुक्त राज्य खाद्य और औषिट प्रशासन के मानकों के अनुरूप है।";
- (2) उपखण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
  - "परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यांत करने के लिए संयुक्त राज्य खाद्य और आवधि प्रशासन के मानकों को भी मान्यता दी जाएगी।"
- (3) उपखण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---
  - "परन्तु संयुक्त राज्य अमेरीका को निर्यात करने के भामले में निरीक्षण का ऐसा प्रमाण-पत्न निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा जारी किया जाएगा।"

[फा.सं. ७(१)/८८ ई.आई.एण्ड ई.पी.] एम. आर. शिवारमन, संयुक्त सचिव

पान दिप्पण --मूल अधिसूचना का. शा. 245(श्र) तारीख 7.3-1988 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

## MINISTRY OF COMMERCE NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1988

S. O. 466 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments to the notification of Government of India in the Ministry

of Commerce No. S. O. 245 (E), dated the 7th March, 1988 published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 3, Sub-section (ii) dated the 7th March, 1988, namely:—

In the said notification, in clause 1,-

- (1) after sub-clause (2), the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided, for export to United States of America, the type of inspection shall also ensure that Black Pepper conforms to the standards of United States Food and Drug Administration.";
- (2) after sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided, for export to United States of America, the standards of United States Food and Drug Administration shall also be recognised.";
- (3) after sub-clause (4), the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided that in case of export to the United States of America such certificate of inspection shall be issued by the Export Inspection Agencies."

[F. No. 6 (9)|88-EI & EP]M. R. SIVARAMAN, Jt. Secy.

Foot Note:—The Principal notification was published vide S. O. 245 (E), dated 7-3-1988.

• .